FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम– 26)

अज अदालत– अपर जिला कलक्टर, मुकाम– नागौर

प्रार्थीगण बनाम अप्रार्थी

1 श्रवणराम पुत्र पेमाराम
2 आसुराम पुत्र पेमाराम जातियान जाट निवासीगण पांचोडी तहसील खींवसर जिला नागौर।

नायब तहसीलदार पांचौडी

किस्म मुकदमा राजस्व प्रार्थना पत्र नं. 34 सन् 2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही तय इनिशियल्स जज	नम्बर तारीख अहकान जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.4.26	वकील प्रार्थीगण उपस्थित। प्रार्थीगण द्वारा नायब तहसीलदार पांचौडी के प्रकरण सं. 108/2026 में पारित आदेश दिनांक 25.03.2026 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत अपील प्रस्तुत करते हुए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। विद्वान वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही व विधिवत रूप से तामिल हुए बिना ही एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है। प्रार्थीगण की स्वामित्व की विवादित जायगा का व अन्य जायगा का बिना कोई नाप किये ही एकपक्षीय रिपोर्ट तैयार कर एकपक्षीय रिपोर्टों के आधार पर एकपक्षीय आदेश पारित कर बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है, जबकि प्रार्थीगण के टीनसेड व कैबीन प्रार्थीगण के स्वामित्व की खरीदसुदा भूखण्ड में स्थित है। फिर भी बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है। वकील प्रार्थीगण ने यह भी कथन किया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सिविल पिटीशन संख्या 13297/2025 में पारित आदेश दिनांक 21.08.2025 की पालना किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण के खिलाफ दूसरी बार प्रकरण दर्ज कर बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है, जो कृत्य माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने की तारीफ में आता है। प्रार्थीगण के स्वामित्व के भूखण्ड मे वर्षो पुराने स्थित टीनसेड व केबिन को कभी खसरा नम्बर 588 में बताकर व कभी खसरा नम्बर 586 में बताकर व कभी अन्य खसरों में बताकर बिना कोई नाप चोप किये ही प्रार्थीगण के खिलाफ कार्यवाहियां की जा रही है। ऐसी स्थिति में जैर अपील आदेश की पालना मे रूकवाना कानूनी रूप से आवश्यक एवं न्यायोचित है। अतः वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.03.2026 की पालना को रोके जाने व स्थगित किये जाने तथा मौका की यथास्थिति बनाये रखी जाने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे। 17/4/26 अपर कलक्टर, नागौर P.T.O.	

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण द्वारा गैर मुमकिन सडक भूमि पर अतिक्रमण करने से उक्त आदेश पारित किया गया है। सार्वजनिक सडकों, रास्तों पर किए गए अतिक्रमणों के मामलों में कोई स्थगन प्रदान करना जनहित व यातायात सुरक्षा के विरूद्व है। प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष मे सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का कोई विधिक आधार विद्यमान नही होने से इस प्रकरण मे वर्तमान स्थिति मे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 17.04.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

17/4/26

अपर जिला कलक्टर
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर